

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 31/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

- बनाम 1. श्री टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाड़ा स्थाई पता— मं. सं. -27, सिविल लाईन्स, भीलवाड़ा
2. श्री संजय पुत्र महावीर प्रसाद जैन (निदेशक) मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाड़ा स्थाई पता— मं. सं. 166, काशीपुरी रॉयल हॉउस भीलवाड़ा
3. श्री घेवरचन्द पुत्र रामपाल श्रीमाल (निदेशक) मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाड़ा स्थाई पता— बीच की गली, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा



— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 श्री मुकेश वर्मा अधिवक्ता - विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 28.06.2018

शसन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाड़ा

पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत दही (टोण्ड दूध से निर्मित), चपाती, सब्जी इत्यादि का विक्रय कर रहा था। श्री टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता की होटल पर स्टील के भगोने में रखे हुए लगभग 10-12 किलो दही रखा हुआ था। रखे हुए दही (टोण्ड दूध से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.08.2016 को समय 12.45 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से श्री टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाडा था एवं आम जनता को दही (टोण्ड दूध से निर्मित) इत्यादि विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया। विक्रेता/मालिक द्वारा खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत किया गया।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 800 ग्राम दही (टोण्ड दूध से निर्मित) एक साफ सुखी खाली स्टील के भगोने में तुलवाकर खरीदा। इस बाबत 40/-रु. नगद देकर रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने खरीदशुदा दही (टोण्ड दूध से निर्मित) को चार साफ सुखे खाली चौड़े मुंह के प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर मात्रा में डालकर, प्रत्येक डिब्बे में 16-16 बूंदे फार्मलीन बतौर प्रिजरेटिव डालकर, ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए



नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./480/ एफएसएसए/2016/7314-7315 दिनांक 30.09.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाडा द्वारा सब स्टेण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 26.04.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 14.06.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना दही (टोण्ड दूध से निर्मित) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने दही (टोण्ड दूध से निर्मित) Milk fat 2.30 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टेण्डर्ड मात्रा 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित



है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त दही जो कि टोण्ड दूध से बनाया जाने हेतु बताया गया है वह भीलवाडा दुग्ध उत्पादक सहाकरी संघ लि. सरस डेयरी भीलवाडा से दूध क्रय किया जाकर उसी दूध में थोडा सा दूसरा दही (जावण) मिलाकर दही का निर्माण किया जाता है। उससे अन्य किसी प्रकार की कोई छेडछाड नहीं की गयी है। दही का नमूना दिनांक 19.08.2016 को लेना बताया गया व जांच हेतु दिनांक 22.08.2016 को भेजा जाना बताया गया है, उक्त 04 दिन बाद देरी से भेजने का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही के मौके के फोटोग्राफ अथवा विडियोग्राफी भी प्रस्तुत नहीं किये है और न ही किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह बनाया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद होकर विधि में पोषणीय नहीं है। फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड लेबोरेट्री अजमेर की रिपोर्ट अनुसार दही में ऐसी कोई मिलावट सिद्ध नहीं है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। वास्तव में वर्तमान में जीवन पद्धति के अनुसार दही में वसा (फैट की मात्रा) का कम पाया जाना मानव जीवन के अनुकूल है। इस आधार पर अभियोजन कार्यवाही व प्रकरण को खारिज करने का आदेश पारित फरमावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल. एस./480/एफएसएसए/2016/7314-7315 दिनांक 30.09.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टैण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने दही (टोण्ड दूध से निर्मित) Milk fat 2.30 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाडा सब स्टैण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड दही



(टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/-रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



28/06/18  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
- 4 श्री टीकम चन्द्र पुत्र देवकरण जैन विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स होटल रॉयल ऐम्बेन्सी A Unit to Deepak Finance & Investment Pvt. Ltd. 3.S बसंत विहार कॉलोनी, भीलवाडा स्थायी पता - मं.सं. -27, सिविल लाईन्स, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

28/06/18  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)